**GOVERNMENT OF INDIA** 



असाधारण

### EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2016/फाल्गुन 25, 1937

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 228]

No. 44]

DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2016/PHALGUNA 25, 1937

[N.C.T.D. No. 228]

भाग—IV

PART--IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

### GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 15 मार्च, 2016

फा. 3(628) / नीति / वैट / 2016 / पीएफ / 1658-70. — मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 27 के अन्तर्गत मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं. फा. 3(628) / नीति / वैट / 2016 / 1424.36 दिनांक 11 फरवरी, 2016 एवं सं. फा. 3(628) / नीति / वैट / 2016 / पीएफ / 1572—1584 दिनांक 1 मार्च, 2016 के आंशिक संशोधन में, में, एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों (अर्थात् 01 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2015, 01 जुलाई, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 और 01 अक्तूबर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015) के लिये फार्म सी आर—II में रिटर्न 31 मार्च, 2016 तक भरी जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त अधिसूचना की बाकी विषय वस्तु उसी प्रकार रहेगी ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

### **DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES**

### NOTIFICATIONS

Delhi, the 15th March, 2016

No. F. 3(628)/Policy/VAT/2016/PF/1658-70.—In exercise of the powers conferred on me under section 27 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 and in partial modification to the notification No.F.3(628)/Policy/VAT/2016/1424-36 dated 11<sup>th</sup> February, 2016 and No. F. 3 (628)/Policy/VAT/2016/PF/1572-1584 dated 1<sup>st</sup> March, 2016, I, S.S. Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, do hereby direct that the returns in Form CR-II for the first three quarters of the current financial year (i.e. 1<sup>st</sup> April, 2015 to 30<sup>th</sup> June, 2015, 1<sup>st</sup> July, 2015 to 30<sup>th</sup> September, 2015 and 1<sup>st</sup> October, 2015 to

Rest of the contents of the above said notification shall remain unchanged.

This notification shall come into force with immediate effect.

सं. फा. 3 (619) / नीति / वैट / 2016 / 1671-84. — मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की घारा 27 के इ मुझे प्रदान की गई शाक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 07 मार्च, 2016 की अधि सं. फा. 3(619) / नीति / वैट / 2016 / 1610—1623 के आंशिक संशोधन में, मैं, एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतदृद्वारा निर्देश देता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों (अर्थात् 01 2015 से 30 जून, 2015, 01जुलाई, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 और 01 अक्तूबर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015) के लिये जीई—2 में रिटर्न 23 मार्च, 2016 तक भरी जानी अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित

No. F. 3(619)/Policy/VAT/2016/1671-84.—In exercise of the powers conferred on me under sec 27 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 and in partial modification to the notification F.3(619)/Policy/VAT/2016/1610-1623 dated 7<sup>th</sup> March,2016, I, S. S. Yadav, Commissioner, Value Ad Tax, Government of NCT of Delhi, do hereby direct that the returns in Form GE-II for the first three quar of the current financial year (i. e. 1<sup>st</sup> April, 2015 to 30<sup>th</sup> June, 2015; 1<sup>st</sup> July, 2015 to 30<sup>th</sup> Septeml 2015 and 1<sup>st</sup> October, 2015 to 31<sup>st</sup> December, 2015) are required to be filed by 23rd March, 2016.

This notification shall come into force with immediate effect.

S. S. YADAV, Commissioner, Value Added I

### प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 15 मार्च, 2016

### अध्यादेश

एफ नं. आईआईआईटीडी/आर्डिनेंस/57/2011/396.—इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह् निदेशक, गवर्नर मंडल के पूर्व अनुमोदन के साथ, एतद्द्वारा विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए. निम्नांकि अध्यादेश बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	(1) यह अध्यादेश आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान), दिल्ली, "दसवां
होने की तारीख	अध्यादेश'', 2015 के नाम से जाना जाएगा।
	(2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
	Third County than the chine of the grant of the county of
परिभाषाएं	इस अध्यादेश में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो :
	(क) "रैगिंग" का अर्थ इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए, सामान्यतः, कोई भी ऐसा कार्य, आचरण
	या तरीका समझा जाएगा, जिसमें सीनियर विद्यार्थियों द्वारा अपने प्रभत्व की ताकत या है स्मिगत
	का इस्तेमाल ऐसे विद्यार्थियों पर किया जाए, जो किसी तरह से जनियर या इन्फीरियर (कनिष्ठ
	या अधीनस्थ) हों और इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अंजाम दिए गए निम्नांकित कृत्य या
	पद्धतियां शामिल होंगी —

॥ 27 के अन्तर्गत की अधिसूचना ल्य संवर्धित कर, अर्थात् ०१ अप्रैल, के लिये फार्म

ल्य संवर्धित कर

inder section cation No. alue Added ee quarters eptember. 016.

lded Tax

वेल्ली ने हुए

(2) विद्यार्थियों, विशेषकर महिला विद्यार्थियों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाना;

- (3) विद्यार्थियों का उपहास उड़ाना अथवा उनका तिरस्कार करना या उनके आत्म सम्मान को क्षति पहुंचाने वाला कोई अन्य कृत्य करना; और
- (4) मौखिक दुर्वचन मानसिक या शारीरिक यातना, आघात, शारीरिक दंड, उत्पीड़न, मानसिक् आघात, अभद्र और अशलील व्यवहार।
- (ख) ''विद्यार्थी'' का अर्थ है और इसमें समाहित हैं, वे सभी व्यक्ति, जो संस्थान में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर किसी अध्ययन पाठ्यक्रम, अनुसंधान, परियोजना आदि में संलग्न हों।
- (ग) इस अध्यादेश में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, वही समझा जाएगा, जो अधिनियम और विधान में उनके लिए नियत किया गया है।

शक्तियां

विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और प्रवर्तन संबंधी तथा संस्थान के विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के सभी अधिकार सीनेट में निहित होंगे, जो अपने किसी अधिकार या पूर्ण विवेकाधिकार को प्रत्यायोजित कर सकती है।

विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवार्ड

- (1) अनुशासनहीनता, जिसकी परिणति किसी विद्यार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में हो सकती है, के अंतर्गत निम्नांकित कृत्य शामिल हैं, परंत्र, केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- (i) किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार या कोई ऐसा कृत्य जो उसकी भावात्मक स्थिति, स्वारथ्य, या किसी व्यक्ति की सुरक्षा के प्रति जोखिम या खतरा पैदा करने वाला हो;
- (ii) संस्थान की संपत्ति की चोरी या क्षति; Min while or but a
- (iii) संस्थान की सुविधाओं में अनधिकृत प्रवेश अथवा कम्प्यूटिंग और नेटवर्क/साइबर सुविधाओं सहित, इन सुविधाओं का दुरुपयोग;
- (iv) शिक्षण, अनुसंधान, प्रशासन, सुनवाई प्रक्रियाओं, या संस्थान की अन्य गतिविधियों में रुकावट या व्यवधान डालनाः
- (v) संस्थान के प्रलेखनों या रिकाडों में जालसाज़ी, रद्दोबदल, या उनका दुरुपयोग करना अथवा जानबूझ कर संस्थान में गलत जानकारी देना;
- (vi) कथित अपराधों के मामलों में जांच अथवा सुनवाई के लिए पेश होने के अनुरोध का पालन न करना या उससे इन्कार करना या जांच में सहयोग न करना;
- (vii) शैक्षिक बेईमानी के कृत्य, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, होम असाइनमेंट्स, सत्र परीक्षाओं, रिपोर्टों आदि में नकल करना या अनुचित तरीके अपनाना (या नकल करने में मदद करना), प्रोग्राम/कोड की नकल करना, अनुमति न देने पर सांठगांठ करना और मदद लेना, धोखाधड़ी या परीक्षा में मदद पहुंचाना, छद्म उपस्थिति, जमा कराने के बाद उत्तर पुरितकाओं में बदलाव करना आदि;

हो, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कृत्य करने के लिए उकसाना या दुष्प्रेरित करना;

- (ix) संस्थान प्रणाली की शैक्षिक कार्य प्रणाली में किसी भी तरह से व्यवधान या रुकावट डालन
- (x) कक्षा, टेस्ट या परीक्षा या किसी अन्य पाठ्य अथवा पाठेतर गतिविधि, जिसमें उसके
- (xi) कोई हथियार लेकर चलना, उसका इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना;
- (xii) क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा अनुशंसित को छोड़ कर नशीली दवाओं या अन्य मादक पदार्थों का इस्तेमाल करना;
- (xiii) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का किसी भी तरह उल्लंघन
- (xiv) हिंसा या नैतिक भ्रष्टता के किसी कृत्य में शामिल होना या ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देना;
- (xv) किसी प्रकार का जुआ खेलना;
- (xvi) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध किसी, विद्यार्थी की प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाना;
- (xvii) किसी विद्यार्थी या स्टाफ के सदस्य के प्रति जाति, संप्रदाय, भाषा, उत्पत्ति के स्थान, सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव करना;
- (xviii) किसी भी रूप में जातिवाद या अस्पृश्यता का व्यवहार करना या किसी अन्य व्यक्ति को
- (xix) मौखिक या अन्यथा कोई ऐसा कार्य करना, जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक या
- (xx) शराब पीना या धूम्रपान करना;
- (xxi) रिश्वत देने या किसी भी तरह के भ्रष्टाचारपूर्ण कृत्य में शामिल होना;
- (xxii) कट्टरपंथी या सांप्रदायिक आधार पर विद्यार्थियों के बीच मतभेद पैदा करना या अन्य विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करना;
- (xxiii) बिना अनुमति के गैर-हाजिर रहना और समय का पाबंद न होना;
- (xxiv) कोई अन्य कृत्य जो संस्थान, संकाय या संस्थान के स्टाफ की प्रतिष्ठा, अनुशासन या हितों को दुष्प्रभावित करने वाला हो;
- (xxv) रैगिंग पर पूर्ण रोक :

The strip is a first of the strip in the str

- (क) संस्थान के परिसरों, जो भी लागू हो, अथवा संस्थान प्रणाली के किसी हिस्से तथा सार्वजिनक परिवहन, या किसी अन्य सार्वजिनक या निजी स्थान पर किसी भी रूप में रैगिंग की सख्त मनाही होगी।
- (ख) कोई व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्य या रैगिंग का कोई भी तरीका, घोर अनुशासन का कृत्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उससे निपटा जाएगा।
- (2) निदेशक, अनुशासन समिति का गठन करेंगे, जिसमें संकाय के कम से कम तीन सदस्य और विद्यार्थियों के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति के विद्यार्थी सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा। अनुशासन के सभी मामले/शिकायतें, निदेशक द्वारा अनुशासन समिति को सौंपे जाएंगे, परंतु धोखाधड़ी के कुछ मामले इसका अपवाद होंगे, जिनमें कोर्स इंस्ट्रक्टर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। धोखाधड़ी के मामलों में विद्यार्थी इंस्ट्रक्टर के निर्णय के खिलाफ अनुशासन समिति में अपील कर सकते हैं।
- (3) किसी भी प्रकार की कोई शिकायत लिखित रूप में की जा सकती है, परंतु उसमें उस विद्यार्थी या उन विद्यार्थियों की पहचान अवश्य होनी चाहिए, जिनके खिलाफ शिकायत की जा रही है और आरोप के बारे में संक्षिप्त विवरण अवश्य होना चाहिए। शिकायत आमतौर पर अनुशासनहीनता के कृत्य की पहचान के बाद शीघ्र की जानी चाहिए।
- (4) अनुशासन समिति अपनी सुनवाई का आयोजन करेगी, जिसके दौरान वह उस विद्यार्थी या उन विद्यार्थियों को बुलाएगी, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, तािक वे मौखिक या लिखित रूप में अपना पक्ष रख सकें। समिति अन्य व्यक्तियों / गवाहों को भी बुला सकती है, जिनके बयान / कथन शिकायत के अधिनिर्णय में. सहायक हो सकते हैं। सुनवाई प्रारंभ करने से पहले, अनुशासन समिति सम्बद्ध विद्यार्थी या विद्यार्थियों को, शिकायत की विषय सामग्री और अधिनिर्णीत किए जाने वाले अनुशासनहीनता के आरोपों से स्पष्ट रूप से अवगत कराएगी। यह कार्य मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकता है। यदि आरोप इस तरह के हों, जिनकी परिणित आरोपी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम / संस्थान से स्थायी रूप से निष्कासित करने के रूप में होनी हो, तो लिखित नोटिस अपेक्षित होगा, जिसके बाद अनुशासन समिति सुनवाई शुरू करेगी और किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए स्वयं प्रक्रिया तय कर सकेगी। ऐसी प्रक्रिया साक्ष्य के किन्हीं तकनीकी नियमों से बाध्य नहीं होगी, परंतु आमतौर पर उस विद्यार्थी / विद्यार्थियों को, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हो, बचाव का उचित अवसर प्रदान करेगी। सभी मामलों में अनुशासन समिति अपनी सुनवाई का लिखित रिकार्ड अवश्य रखेगी।
- (5) अनुशासन समिति अपराध के स्वरूप और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संस्थान से यह अनुशंसा करेगी कि अनुशासनहीनता के आरोपी विद्यार्थी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए।
- (6) कार्रवाइयों के अंतर्गत संस्थान से पूरी तरह निष्कासित करना, अथवा निर्धारित समय के लिए निष्कासित करना, नियत अवधि के लिए रोक लगाना, जुर्माना करना, पीड़ित या घायल व्यक्ति के लिए क्षितिपूर्ति का आदेश देना, अनुशासनात्मक निंदा करना, ग्रेड में कमी करना आदि अथवा इनमें से एक या अधिक सजा संयुक्त रूप से देना, शामिल है।
- (7) यदि अनुशासन समिति द्वारा अनुशंसित दंड एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए रोक / निष्कासन के लिए है, तो निदेशक अपने विवेकाधिकार से अनुशासन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है अथवा उसे स्वीकार करने के लिए सीनेट को भेज सकता है। निदेशक द्वारा स्वीकार की गई सभी सिफारिशों सीनेट के समक्ष रखी जाएंगी।

निदेशक द्वारा उसे मंजूरी के लिए सीनेट के समक्ष रखना अनिवार्य होगा, जिसके बाद अंतिम आदेश की जानकारी सम्बद्ध विद्यार्थी को दी जाएगी। निदेशक, सीनेट की बैठक होने तक उपयुक्त अंतरिम कार्रवाई/उपाय कर सकता है।

- (9) यदि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और दुराचरण की गंभीरता को देखते हुए अनुशासन समिति का यह विचार हो, कि पाठ्यक्रम की समाप्ति (अर्थात् स्थाई निष्कासन) अपेक्षित है, तो वह अपने निष्कर्षों और अनुशंसाओं को रिकार्ड कर सकती है। इसके बाद मामला सीनेट को सौंपा जाएगा, जो अंतिम निर्णय करेगी, जिसकी जानकारी सम्बद्ध विद्यार्थी को दी जाएगी। निदेशक द्वारा स्वीकार की गई सभी सिफारिशें सीनेट के समक्ष रखी जाएगी।
- (10) संस्थान में सर्वोच्च शैक्षिक निकाय होने के नाते सीनेट को अनुशासन समिति और निदेशक के निर्णयों के खिलाफ सभी अपीलों को सुनने का अधिकार है। उचित मामले में अपने विवेकाधिकार के अनुसार सीनेट अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा भी कर सकती है। सीनेट के सभी निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

एस.एल. भंडारकर, उप निदेशक (एसबी)

# DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Alf High of Page apage Thus opens tempts of Charles as in one and

Delhi, the 15th March, 2016

### ORDÍNANCE

F. No. IIITD/Ordinances/57/2011/396.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 24 of the Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Director with the prior approval of the Board of Governors, hereby makes the following Ordinance for disciplinary action against students, namely:-

## Short title and Commencement

- (1) This Ordinance may be called the IIIT (Indraprastha Institute of Information and Technology), Delhi, "Tenth Ordinance", 2015.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

अंतिम तक

Definitions	In this ordinance, unless the contest otherwise require,-
militoria i i additinis i pi	(a) "Ragging" for the purpose of this ordinance, shall ordinarily, mean any act, conduct or practice by which the dominant power or status of senior students is brought to bear upon the students who are in any way considered junior or inferior by the former and includes individual or collective acts or practices which,-
	(1) involve physical assault or threat to use physical force;
	(2) violate the status, dignity and honor of students, in particular women students and those belongings to Scheduled caste or Scheduled tribe;
aw .	(3) expose students to ridicule or contempt or commit an act which may lower their self-esteem; and
	(4) entail verbal abuse, mental or physical torture, aggression, corporal punishment, harassments, trauma, indecent gesture and obscene behavior.
	(b) "Student" shall mean and include all those persons who are pursuing a course of study, research, project etc., whether full time or part time, at the Institute.
	(c) Words and expressions used in this Ordinance shall have the meaning assigned to them in the Act and the Statutes, unless the context otherwise requires.
Power	All powers relating to maintenance and enforcement of discipline among and disciplinary action against the students of the Institute shall vest in the Senate, which may delegate any of its power at its sole discretion.
	signate the efector of miles and the services of the services

## Disciplinary Action against Students

- (1) Indiscipline, which may lead to disciplinary action against a student, will include, but not be confined to the following:-
  - (i) physical abuse of any person or any action that threatens or endangers the emotional well-being, health, or safety of any person;
- (ii) theft of or damage to property of the Institute;
- (iii) unauthorized entry to the facilities of the Institute or misuse of these facilities, including computing and network/cyber facilities;
- (iv) obstruction or disruption of teaching, research, administration, hearing procedures, or other activities of the Institute;
- (v) forgery, alteration, or misuse of documents or records of the institute or, knowingly furnishing false information to the Institute;
- (vi) failure or refusal to appear upon request or to cooperate in the investigation or hearing of cases of alleged offenses;
- (vii) incidents of academic dishonesty including, but not limited to, use

8	DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY	1
		[PART
	(x) remaining absent from the class, test or examination or any participate in;	lowed, nanging the ng or demic other i to
	(xxi) drinking or smoking:  (xxi) any attempt at bribing or corruption of any manner or description of any attempt at bribing or corruption of any manner or description of any attempt at bribing or corruption of any manner or description of any attempt at bribing or corruption of any manner or description of any attempt at bribing or interest of the sector of any other students to so;  (xxii) Truancy and unpunctuality;  (xxiv) Any act which affects reputation, discipline or interests of the Institute, Faculty or staff of the Institute;  (a) Ragging in any form shall be strictly prohibited within the premises of the Institute, as the case may be, or in any part of the Institute system as well as on public transport, or at any other place, public or private.  (b) Any individual or collective act or practice of ragging shall constitute an act of gross indiscipline and shall be dealt with under the provisions of this ordinance  (2) The Director will constitute a Disciplinary Committee comprising of at least three faculty members and two student representatives. The student complaints of indiscipline will be referred to the Disciplinary.  All cases /	do

Wed, Nging

her

- by the Director, except some cases of cheating where the Instructor of the course can take suitable action. In the latter, the student can appeal against the decision of the Instructor, to the Disciplinary Committee.
- (3) A complaint may be made in writing in any form, but must identify the student or students complained against and must contain a concise statement of the charge. The complaint should generally be made soon after the act of indiscipline is identified.
- (4) The Disciplinary Committee will hold its deliberations, during which it will invite the student or students complained against to furnish his / her say in the matter, whether orally or in writing, and may also invite other persons / witnesses whose accounts / versions can assist in adjudication of the complaint. Before proceeding with the hearing, the Disciplinary Committee will clearly apprise the student or students concerned, the subject matter of the complaint and the charges of indiscipline to be adjudicated. This may be done orally or in writing. If the charges are such that they may lead to termination of the program / permanent expulsion of the student from the Institute, then a written notice is required, following which the Disciplinary Committee shall proceed with its hearing and may formulate its own procedure for arriving at its decision. Such procedure shall not be bound by any technical rules of evidence, but shall generally grant a fair opportunity to the students (s) complained against to defend themselves. In all cases the Disciplinary Committee shall maintain a written record of its proceedings.
- (5) The Disciplinary Committee will recommend what action, if any, the Institute should take against the student charged with indiscipline, keeping in mind all the circumstances and the nature of the offense.
- (6) Actions may include expulsion from the Institute completely or for a stated period of time, probation for a stated period of time, fine, restitution to an aggrieved or injured person for damages, disciplinary censure, reduction in grade, etc. or any combination thereof.
- (7) If the punishment recommended by the Disciplinary Committée is a year drop / expulsion, or less, the Director in his discretion may accept the recommendations of the Disciplinary Committee or refer them to the Senate for acceptance. All recommendations accepted by the Director will be tabled before the Senate.
- (8) If the punishment recommended exceeds one year drop/explusion, the recommendation must be referred by the Director to the Senate for acceptance, after which the final order shall be communicated to the measures till the Senate meets.
- (9 If the Disciplinary Committee is of the view that termination of the program (i.e. permanent expulsion) is warranted in the facts and circumstances of the case and in view of the gravity of the misconduct, it can record its findings and recommendations. The matter is then referred to the Senate, which will apply itself to finally arrive at a reasoned decision which will be communicated to the student concerned. The Director may take suitable interim action / measures till the Senate meets.

entitled to consider all appeal against the decisions of the Disciplinary Committee and the Director and, in appropriate case, as per its discretion, may even review its earlier decisions. All decisions of the Senate will be final and binding upon the parties.

S. L. BHANDARKAR, Dy. Director (S.B)

### अधिसूचना

दिल्ली, 15 मार्च, 2016

आईआईआईटीडी/सामान्य परिषद्/अधि./2011/397.—इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, कुलाधिपति की अध्यक्षता वाली इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की सामान्य परिषद् का गठन करते है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

	() · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(1)	चैयरमेन, शासक मंडल, आईआईआईटी— दिल्ली	सदस्य
(2)	निदेशक, आईआईआईटी— दिल्ली	सदस्य
(3)	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार	सदस्य
(4)	सचिव, इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार	सदस्यं
(5)	प्रधान सचिव वित्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
(6)	प्रधान सचिव / सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी	सदस्य
	क्षेत्र दिल्ली सरकार	,
(7)	अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)	सदस्य
(8)	महानिदेशक; राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	सदस्य
(9).	प्रेजिडेंट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसिस् कंपनी	सदस्य

सामान्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से तीन वर्षों का होगा।

Hiller Collins and

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर.

मनोज कुमार, निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

### NOTIFICATION

Delhi, the 15th March, 2016

F. No. IIITD/General Council/Notification/2011/397.—In exercise of powers conferred under Section 15 of Indraprastha Institute of Information Technology Act; 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute a General Council of the Indraprastha Institute of information Technology, Delhi to be headed by the Chancellor and consisting of the following members namely :-

(1) Chairman, Board of Governors, IIIT-Delhi.

(Member)

(2) Director, IIIT Delhi.

(Member)

(3) Secretary, Department of Science and Technology (DST), Government of

ART IV]

sciplinary scretion, will be

tor (S.B)

संस्थान गनी क्षेत्र ग गठन (4) Secretary, Department of Electronics & Information Technology (Deity), (Member) Government of India.

(5) Principal Secretary Finance, Government of National Capital Territory of Delhi. (Member)

(6) Pr. Secretary/Secretary, Department of Training & Technical Education, (Member)

Government of National Capital Territory of Delhi.

(7) Head, Defence Research and Development Organization (DRDO). (Member)

(8) Director General, National Informatics Centre (NIC) (Member)

(9) President, National Association of Software and Service Companies. (Member)

The term of the members of the General Council will be three years with effect from the date of notification.

ellautopa es A. Dafa santis je tras

igita Coellory of Debiid Catalophan Coprais

Information Caption (2016

clear of Reflective and Marities Co.

By Order and in the Name of Lt.Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Director, TTE